Terms of International Bankers for Indo-Oman urea Project

1400. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government have accepted the terms and conditions put forth by international bankers for the beleaguered $ 1100 milion Indo-Oman Urea Project; and

(b) if so, the details of the terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) No Sir. no proposal has been received from the Indian sponsors to revise the investment approval given by the Government in December 1997, as the terms and conditions suggested by the Consortium of banks mandated to arrange debt for the Oman India Fertilizer project are under discussion between the arranging banks and the Indian and Omani sponsors.

यूरिया के आयात ठेकों पर पूर्व-शर्त

1401. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए यूरिया घोटाले को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के यूरिया आयात ठेकों पर पूर्व शर्ते लगाने और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर विचार किया हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विहित शर्ते/प्रस्तावित नई शर्ते क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय सरकारी मानदण्डों के अनुरूप तथा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इससे घोटालों को रोकने में किस हद तक मदद मिलेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक हैं जिसका नामित सरणीबद्व एजेन्सियों अर्थात एमएमटीसी लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) के माध्यम से सरकारी खाते में आयात किया जाता हैं। यूरिया घोटाले के बाद सरकार ने 1.4.97 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पेशगी धन जमा करने और निष्पादन गारन्टी बाण्ड के संबध में कठोर शर्ते लागू किए गए हैं ताकि "घाटिया बाजार प्रचालकों" के प्रवेश को रोका जा सके। अंतराष्ट्रीय बाजार में उनकी स्थिति के आधार पर आपूर्तिकर्त्ताओं का वर्गीकरण किया गया हैं और नए आपूर्तिकर्त्ताओ को अंतराष्ट्रीय एजेन्सियों से उनकी ऋण शोध क्षमता और साख दर का प्रमाण देना पड़ता हैं।

(ii) यूरिया खरीद के संबंध में किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जाती हैं। आयातों के लिए निर्णय पर निदेशक मण्डल अथवा मण्डल बिक्री खरीद समिति (एसपीसी) द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती हैं।

(iii) सभी तरह के भुगतान साख पात्र के माध्यम से करने पड़ते है जो सामान्यतः स्थानान्तरणीय परिवर्तनीय तथा अभ्यपर्णीय नहीं होगे।

इसके अलावा, सरकार ने यह अनुदेश भी अलग से जारी किये हैं कि सभी नीतिगत मामले और खास तौर पर वे जिनका गम्भीर वित्तीय प्रभाव होता है, को मंजूरी के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष लाया जाएगा।

उर्वरकों की कमी

1402. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उर्वरकों की बहुत कमी हैं या इसके उत्पादन में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उर्वरक के आयात एवं निर्यात का कारखाना निर्गत मूल्य, सी.आई.एफ. (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य और एफ.ओ.बी. (फ्री आन बोर्ड) मूल्य कितना-कितना है?